

संख्या : पर (एफ-11) एफ(4)-12/87-VI

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि-11)

दिनांक शिमला-171 002

7 दिसम्बर, 2006

कार्यालय आदेश


विषय: जन-जातीय क्षेत्रों एवं कठिन क्षेत्रों में अवकाश पर जाने की अवस्था में अतिरिक्त यात्रा दिवसों की सुविधा देने बारे ।

संदर्भ:

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय आदेश सं० कार्मिक (नि-11) एफ (4)-12/87-भा० दिनांक 7-7-1993 व 15-9-1996 का क्रम जारी रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय आदेशों के अन्तर्गत जन-जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त यात्रा दिवसों की सुविधा वर्ष में केवल एक बार अर्जित अवकाश, अर्ध-वेतन अवकाश, असाधारण अवकाश तथा आकारिमक अवकाश देय है परन्तु उक्त आदेशों के अनुरूप हैलीकॉप्टर में यात्रा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, इस सुविधा का कोई जिक्र नहीं था। अब सरकार ने पूर्ण विचार उपरान्त एवं जन-जातीय विकास व वित्त विभाग की सलाह से यह निर्णय लिया है कि जन-जातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश के दौरान हैलीकॉप्टर से यात्रा करने पर भी अतिरिक्त जॉइनिंग टाइम की सुविधा देय होगी।

- 2- उक्त पत्रों में दर्शाई गई बाकी शर्तें समान रहेंगी।
- 3- उपरोक्त आदेश इस पत्र के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।
- 4- यह निर्णय सम्बन्धित के ध्यान में लाया जाये तथा इसका पालन किया जाये।

भवदीय,


सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

7 दिसम्बर, 2006

पू०स० कार्मिक (नि-11) एफ(4)12/87-VI दिनांक
प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1- समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
- 4- समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
- 5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, समस्त बोर्ड/निगम, हिमाचल प्रदेश।
- 6- प्रजीयक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला/कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर तथा उद्यान एवं कानिकी विश्वविद्यालय, नौरी, सोलन हिमाचल प्रदेश।
- 7- निदेशक, संस्थागत (वित्त), हिमाचल प्रदेश।
- 8- तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2।


SSA(ss)

APC
11-12-06

कमल

NICHP State Unit Shimla

Dist No. 2200


सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।